

आर वेणुगोपाला नायडू और अन्य

बनाम

वेंकटारायुलु नायडू चैरिटीज और अन्य

26 अक्टूबर, 1989

[न्यायमूर्ति एस. नटराजन और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह]

*सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 92 प्रतिनिधि मुकदमे की प्रकृति क्या किसी न्यास में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति मुकदमे के पक्षकार हैं।*

प्रतिवादी संख्या 1 एक सार्वजनिक न्यास है। न्यास के पास कई संपत्तियां हैं। इस आधार पर कि न्यास की संपत्तियों को अनुचित तरीके से और धोखाधड़ी से हस्तांतरित किया गया था, न्यासि को हटाने और एक नए न्यासि की नियुक्ति करने और उक्त न्यासि द्वारा हस्तांतरित ट्रस्ट संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए धारा 92 सीपीसी के तहत एक मुकदमा दायर किया गया था। उप-न्यायाधीश ने न्यासियों को जारी रखने की अनुमति दी और न्यास के भविष्य के प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक योजना-आदेश तैयार किया। इस योजना ने पक्षकारों को न्यास के प्रशासन के संबंध में आगे के निर्देशों के लिए उप-अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता भी दी।

न्यासियों ने उप-अदालत के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया और दो संपत्तियों को बेचने की अनुमति प्राप्त की। अपीलकर्ताओं ने न्यास को दो संपत्तियों को बेचने की अनुमति देने के आदेश को रद्द करने के लिए एक अंतरिम आवेदन यह आरोप लगाते हुए दायर किया कि मोल-भाव की गई कीमत बाजार के मूल्य का लगभग 20 प्रतिशत ही थी। उप-न्यायाधीश ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदकों के पास योजना-आदेश के खंड 13 और 14 के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं थे।

पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदन विचारणीय नहीं था।

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध है। अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि चूंकि धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा है, इसलिए योजना-आदेश न केवल पार्टियों को, बल्कि उन सभी को भी बाध्य करती है जो ट्रस्ट में रुचि रखते हैं।

प्रतिवादियों का तर्क यह था कि केवल मूल मुकदमा दायर करने वाले दो व्यक्तियों को योजना-आदेश के खंड 14 के संदर्भ में "पक्षकार" माना जा सकता है और चूंकि अपीलकर्ता मुकदमे में वादी नहीं थे, इसलिए उनके पास योजना-आदेश के खंड 13 और 14 के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया:

1.1 संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा सार्वजनिक न्यासों और दानों में सार्वजनिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विशेष प्रकृति का मुकदमा है। यह मुकदमा मूल रूप से ट्रस्ट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के पूरे निकाय की ओर से है। यह सार्वजनिक अधिकारों की पुष्टि के लिए है। न्यास के लाभार्थी, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता शामिल हो सकती है, संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने के उद्देश्य से अपने बीच दो या दो से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं और ऐसा घटित होने की स्थिति में मुकदमा-शीर्षक वादी के रूप में केवल उनके नाम दिखाएगा। नामित वादी बड़े पैमाने पर जनता के प्रतिनिधि है जिन्हें न्यास में रुचि है ऐसे सभी रुचित व्यक्तियों को कानून की नजर में मुकदमे में पक्षकार माना जाएगा। संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा इस प्रकार से एक प्रतिनिधि मुकदमा है और इस तरह न केवल मुकदमे में नामित पक्षों को बल्कि उन सभी को बाध्य करता है जो ट्रस्ट में

रुचि रखते हैं। यही कारण है कि संहिता की धारा 11 का स्पष्टीकरण VI रचनात्मक रूप से इच्छुक व्यक्तियों के पूरे निकाय को संहिता की धारा 92 के तहत पहले के मुकदमे में सीधे और पर्याप्त रूप से मामलों को फिर से शुरू करने से रोकता है। [ 766 बी-सी]

1.2 एक मुकदमा चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत हो या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनका समान हित होता है। एक प्रतिनिधि मुकदमे की प्रकृति उन सभी को पक्षकार बनाती है जिनकी मुकदमे में समान रुचि हो। तत्काल मामले में प्रतिवादी ट्रस्ट में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति मूल मुकदमे के पक्षकार हैं और इस तरह योजना-आदेश की धारा 13 और 14 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। [766 एच; 767 ए]

*राजे आनंदराव बनाम शामराव और अन्य*, [ 1961 ] 3 एससीआर 930; *अहमद आदम सैत और अन्य बनाम इनायतुल्ला मेखरी और अन्य*, [ 1964 ] 2 एससीआर. 647 पर भरोसा किया।

2.1 धार्मिक और धर्मार्थ दान या संस्थानों की संपत्ति की ईमानदारी से संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि समुदाय के बड़े वर्ग का उसमें लाभकारी हित है। इसलिए, निजी वार्ताओं द्वारा बिक्री जो जनता की नज़र में नहीं आती है और यहां तक कि जनता के संदेह को भी जन्म दे सकती है, की तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इसे उचित ठहराने के लिए विशेष कारण न हों। बंदोबस्ती के हितों की सुरक्षा के लिए बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के बाद आरक्षित मूल्य तय करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। [ 767 एफ-जी]

2.2 अधीनस्थ न्यायालय के 27 अक्टूबर, 1984 और 23 जनवरी, 1985 के आदेशों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें दो संपत्तियों की बिक्री और परिणामस्वरूप प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री की अनुमति दी गई थी। सार्वजनिक नीलामी की तारीख, समय और स्थान के बारे में व्यापक प्रचार करके विचाराधीन संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है। इस न्यायालय में की गई 10 लाख रुपये की पेशकश को उस व्यक्ति की न्यूनतम बोली माना जाएगा जिसने प्रस्ताव दिया है और इस राशि का दस प्रतिशत न्यायालय में जमा करा दिया है। यह प्रतिवादियों/खरीदारों के लिए नीलामी में भाग लेने और संपत्तियों को खरीदने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी खुला रहेगा। ट्रस्ट के प्रतिवादी-विक्रेता संपत्ति की नीलामी की तारीख तक राशि के भुगतान की तारीख से 10% ब्याज के साथ उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत वापस पाने के हकदार होंगे। वे संपत्तियों में उनके द्वारा लगाए गए किसी भी अधिरचना के लिए मुआवजे के भी हकदार होंगे, जिसमें भवन और संपत्ति में उनके द्वारा किए गए किसी भी परिवर्धन या सुधार के लिए मुआवजा भी शामिल है। [767 एच; 768 ए-सी]

*चेंचू राम रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार. और अन्य, [1986] 3 एससीसी 391, पर भरोसा किया।*

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 1988 की सिविल अपील संख्या 3577

1985 के सीआरपी संख्या 3210 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 19.9.1986 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से एस. पद्मनाभन, श्री टी. ए. सुब्रमण्यम, आर. एन. केशवानी और एस. बालकृष्णन।

प्रतिवादियों की ओर से जी. रामास्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, के. स्वामी, एस. श्रीनिवासन, राज्यप्पा, एस. मुरलीधर, दीवान बालक राम और एम. के. डी. नम्बूदरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

### **न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह**

वैकटारायुलु नायडू चैरिटीज एक सार्वजनिक न्यास है। वी. पी. वैकटाकृष्ण नायडू और वी. पी. राजागोपाला नायडू ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत अधीनस्थ न्यायाधीश, मायावरम की अदालत में 1909 का मूल मुकदमा संख्या 28 (जिसे इसके बाद मूल मुकदमा कहा जाएगा) दायर किया अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना करते हुए कि प्रतिवादी ट्रस्टी को उक्त कार्यालय से हटा दिया जाए और प्रतिवादी द्वारा अनुचित और धोखाधड़ी से हस्तांतरित ट्रस्ट संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के निर्देश के साथ एक नया ट्रस्टी नियुक्त किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने ट्रस्टी को जारी रखने की अनुमति दी और ट्रस्ट के भविष्य के प्रबंधन और प्रशासन के लिए 9 सितंबर, 1919 को एक योजना-आदेश तैयार किया। योजना के खंड 13 और 14 निम्नानुसार हैं:

"13- तंजौर उप न्यायालय की अनुमति के बिना न्यासी मौजूदा इमारतों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।

14- न्यासों के प्रशासन के संबंध में समय-समय पर आगे के निर्देशों के लिए तंजौर उप न्यायालय में आवेदन करने के लिए पक्षकारों को स्वतंत्रता दी जाती है।"

इस अपील में विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त योजना-आदेश के खंड 14 में उल्लिखित "पक्षों" का मतलब केवल मुकदमे-शीर्षक में वादी और प्रतिवादी के

नाम और उनके उत्तराधिकारी-हित में है या मुकदमा प्रतिनिधि होने के नाते इसमें सभी शामिल हैं जो लोग ट्रस्ट में रुचि रखते हैं।

इसके अलावा आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

ट्रस्ट कई संपत्तियों का मालिक है। हम न्यास की केवल निम्नलिखित दो संपत्तियों को लेकर चिंतित हैं:

1. मुथुकुमारा मूपन्नार रोड पर स्थित संपत्ति टी.एस. नं. 2936 में 11484 वर्ग फुट की हद तक

2. वार्ड नं. 6 गांधीजी रोड, में स्थित संपत्ति, टी. एस. नं. 2937 में 4429 वर्ग फुट की हद तक

न्यासियों ने पहली संपत्ति को बेचने की अनुमति के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में अंतरिम आवेदन संख्या 1984 की 453 दायर की जो 27 अक्टूबर, 1984 के आदेश द्वारा दी गई थी और संपत्ति को Rs.11,000 में बेचा गया था। इसी प्रकार दूसरी संपत्ति न्यायालय की दिनांक 23 जनवरी 1985 की अनुमति से 69,328 रुपये में बेची गयी। आर. वेणुगोपाला नायडू और तीन अन्य जो वर्तमान अपीलकर्ता हैं, ने अधीनस्थ न्यायाधीश, तंजावुर के समक्ष मूल मुकदमे में ट्रस्ट को उपरोक्त दो संपत्तियों को बेचने की अनुमति देने के 27 अक्टूबर, 1984 और 23 जनवरी, 1985 के आदेशों को रद्द करने के लिए 1985 की अंतरिम आवेदन संख्या 175 दायर की। यह आरोप लगाया गया कि मोल-भाव के जरिए बिक्री ऐसी कीमत पर हुई जो बाजार मूल्य का लगभग 20% थी। आम जनता को आमंत्रित करने के लिए किसी भी समाचार पत्र में या अदालत के नोटिस बोर्ड में भी कोई प्रकाशन नहीं किया गया था।

विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदकों के पास योजना-आदेश के खंड 13 और 14 के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक और पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि आवेदन विचारणीय नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि चार में से दो आवेदक जो मुसलमान हैं, उन्हें न्यास के प्रशासन में कोई रुचि नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की गई की गई है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एस. पद्मनाभन ने जोरदार तर्क दिया है कि हालांकि अपीलकर्ताओं को मुकदमा-शीर्षक में पक्षकार नहीं दिखाया गया था लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा होने के नाते योजना-आदेश न केवल पक्षकारों को बल्कि उन सभी को बाध्य करती है जो न्यास में रुचि रखते हैं। उनके अनुसार योजना-आदेश के खंड 14 में "पक्षकारों" में अपीलकर्ता और न्यास में रुचि रखने वाले सभी लोग शामिल होंगे। उन्होंने *राजे आनंदराव बनाम शामराव और अन्य*, [1961] 3 एससीआर 930 पर भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"यह सच है कि पुजारी धारा 92 के तहत मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, लेकिन जहां तक मंदिर के प्रशासन का सवाल है, उस मुकदमे का निर्णय पुजारियोंको उपासक के रूप में बांधता है, भले ही वे इसमें पक्षकार नहीं थे, धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा है और न केवल पक्षकारों को बल्कि उन सभी को, जो न्यास में रुचि रखते हैं, बाध्य करता है।"

विद्वान वकील ने आगे *अहमद आदम सैत और अन्य बनाम इनायतुल्ला मेखरी और अन्य*, [1964] 2 एससीआर. 647 पर भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"धारा 92 के तहत मुकदमा, यह आग्रह किया जाता है कि, एक प्रतिनिधि मुकदमा है, और इसलिए, चाहे वर्तमान उत्तरदाता वास्तव में उस मुकदमे में उपस्थित हुए हों या नहीं, वे आदेश से बंधे होंगे, जिसने न्यास के उचित प्रशासन के लिए एक योजना तैयार की थी। इस तर्क के समर्थन में, राजा आनंदराव बनाम शामराव मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया गया है, जहां यह देखा गया कि हालांकि पुजारी धारा 92 के तहत मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, लेकिन उस मुकदमे का फैसला पुजारियों को उपासक के रूप में बांधता है, जहां तक मंदिर के प्रशासन का सवाल है, क्योंकि धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा है जो न केवल पार्टियों को बल्कि उन सभी को जो न्यास में रुचि रखते हैं, बाध्य करता है।"

इस तर्क की वैधता का आकलन करने में, निर्णयों के आधार पर विचार करना आवश्यक है कि धारा 92 के तहत एक मुकदमे में पारित आदेश सभी पक्षों को बांधता है। इस दृष्टिकोण का आधार यह है कि धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा है और न्यास में रुचि रखने वाले सभी लाभार्थियों की ओर से आवश्यक मंजूरी के साथ लाया जाता है। उक्त धारा न्यास में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों को वहां निर्धारित लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद उक्त धारा के उपधारा (1) के खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट एक या अधिक राहतों का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करती है। इस प्रकार, जब कोई मुकदमा धारा 92



के तहत लाया जाता है, तो यह न्यास में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाया जाता है, जिन्होंने ट्रस्ट के सभी लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे मुकदमे में, हालांकि सभी लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी ओर से कार्रवाई शुरू की जाती है और प्रतिनिधि चरित्र में राहत का दावा किया जाता है। यह स्थिति तुरंत संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण VI के प्रावधानों को आकर्षित करती है। स्पष्टीकरण VI में यह प्रावधान है कि जहां व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार या निजी अधिकार के संबंध में अपने और दूसरों के लिए सामान्य रूप से दावा करते हैं, ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों के तहत दावा करने के लिए मुकदमा चलाना समझा जाएगा। यह स्पष्ट है कि धारा 11 को इसके स्पष्टीकरण VI के साथ पढ़ने पर यह परिणाम निकलता है कि उन व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए मुकदमे में पारित एक आदेश, जिस पर स्पष्टीकरण VI लागू होता है, उसी अधिकार में रुचि रखने वाले बाकी सभी व्यक्तियों द्वारा आगे के दावों को रोक देगा, जिसके संबंध में पिछला मुकदमा स्थापित किया गया था। स्पष्टीकरण VI इस प्रकार *प्रांन्याय के सिद्धांत* के एक रचनात्मक पहलू को दर्शाता है। जहां एक प्रतिनिधि मुकदमा धारा 92 के तहत लाया जाता है और ऐसे मुकदमे में एक आदेश पारित किया जाता है, कानून मानता है कि प्रतिनिधि मुकदमे में वादी के समान हित रखने वाले सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व उक्त वादी द्वारा किया गया था और इसलिए, उन्हें पहले कहे गए मुकदमे में सीधे तौर पर और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित मामलों को दोबारा शुरू करने से रचनात्मक रूप से *प्रांन्याय के सिद्धांत* द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यदि आदेश 1, नियम 8 के तहत कोई मुकदमा लाया जाता है या उसका बचाव किया जाता है तो भी इसी तरह का परिणाम आता है। उस मामले में मुकदमा करने वाले या किसी कार्रवाई का बचाव करने वाले व्यक्ति प्रतिनिधि चरित्र में ऐसा कर रहे हैं, और

इसलिए ऐसे मुकदमे में पारित आदेश उन सभी को बाध्य करती है जिनके हितों का प्रतिनिधित्व या तो वादी या प्रतिवादियों द्वारा किया गया था।....”

कानूनी स्थिति जो उभरती है वह यह है कि संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा सार्वजनिक न्यासों और धर्मार्थ संस्थाओं में सार्वजनिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकृति का मुकदमा है। यह मुकदमा मूल रूप से न्यास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के पूरे समूह की ओर से है। यह मौलिक अधिकारों की पुष्टि के लिए है। क्या हम यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के नाम मुकदमे-शीर्षक पर हैं, वे ही मुकदमे के एकमात्र पक्षकार हैं? इसका जवाब नकारात्मक होगा। नामित वादी बड़े पैमाने पर जनता के प्रतिनिधि हैं जो न्यास में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी इच्छुक व्यक्तियों को कानून की नजर में मुकदमे में पक्षकार माना जाएगा। संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा इस प्रकार एक प्रतिनिधि मुकदमा है और इस तरह यह केवल मुकदमे-शीर्षक में नामित पक्षों को ही नहीं बल्कि उन सभी को भी बांधता है जो न्यास में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि संहिता की धारा II का स्पष्टीकरण VI, संबंधित व्यक्तियों के पूरे समूह को संहिता की धारा 92 के तहत पहले के मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दे पर पुनर्विचार करने से रचनात्मक रूप से *प्रांन्याय के सिद्धांत* द्वारा रोकता है।

प्रतिवादी न्यास की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जी. रामास्वामी ने तर्क दिया है कि मूल मुकदमा दायर करने वाले केवल दो व्यक्तियों को योजना-आदेश के खंड 14 के संदर्भ में "पक्ष" माना जा सकता है और उनके अनुसार चूंकि अपीलकर्ता वादी नहीं थे, उनके पास धारा 13 और 14 के तहत योजना-आदेश का कोई भी आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार संहिता की धारा 92 इस अर्थ में एक विरोधाभास को लाती है कि यहाँ "मुकदमे के पक्षकार" हैं और यहाँ " न्यास में रुचि रखने वाले व्यक्ति" भी हैं। उसके अनुसार न्यास में रुचि रखने वाले

व्यक्तियों को मुकदमे में पक्षकार नहीं माना जा सकता हालांकि मुकदमे में निर्णय/आदेश उन पर बाध्यकारी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दायर मुकदमे से अलग है। हम विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं। एक मुकदमा चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनके समान हित होते हैं। प्रतिनिधि मुकदमे की प्रकृति ही उन सभी लोगों को पक्षकार बनाती है जिनके मुकदमे में समान हित है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो वेंकटरायुलु नायडू चैरिटीज़ में रुचि रखते हैं, जो कि एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, मूल वाद के पक्षकार हैं और इस तरह 9 सितंबर 1910 की योजना-आदेश के धारा 13 और 14 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ताओं में से दो के मुस्लिम होने के कारण ट्रस्ट में कोई रुचि नहीं हो सकती है क्योंकि अन्य दो अपीलकर्ता ट्रस्ट के लाभार्थी होने का दावा करते हैं और उनके दावे को नकारा नहीं गया है। इसके अलावा, ट्रस्ट का गठन न केवल धार्मिक प्रकृति के दान के लिए किया गया है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के दान के लिए भी किया गया है, जैसे कि जाति या धर्म के संदर्भ के बिना आम जनता के लिए पीने का पानी और भोजन उपलब्ध कराना। उपरोक्त हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि अपीलकर्ताओं के पास संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, हम अपील स्वीकार करते हैं और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय मामले की खूबियां में नहीं गये चूँकि अपीलकर्ता सुने जाने का अधिकार के आधार पर

अनुपयुक्त थे। हम आम तौर पर सामने मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए भेज देते लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से हम संतुष्ट हैं कि ट्रस्ट को मिला संपत्ति का मूल्य उसकी बाजार की कीमत नहीं थी। दो व्यक्ति अर्थात् एस.एम. मोहम्मद यासीन और एस.एन.एम. अब्दुल्ला ने हलफनामा दाखिल कर इन संपत्तियों के लिए क्रमशः 9.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये की पेशकश की है। उन्होंने अपनी प्रामाणिकता के समर्थन में इस न्यायालय में प्रस्ताव का 10% जमा कर दिया है। इस न्यायालय ने *चेंचू राम रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार. और अन्य*, [1986] 3 एससीसी 391 में यह माना है कि धार्मिक और धर्मार्थ दान या संस्थानों की संपत्ति की ईमानदारी से रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि उसमें समुदाय के बड़े वर्ग का लाभकारी हित है। इसलिए, निजी वार्ताओं द्वारा बिक्री जो जनता की नज़र में नहीं आती है और यहां तक कि जनता के संदेह को भी जन्म दे सकती है, की तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इसे उचित ठहराने के लिए विशेष कारण न हों। बंदोबस्ती के हितों की सुरक्षा के लिए बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के बाद आरक्षित मूल्य तय करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए, हम अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 1984 और 23 जनवरी, 1985 के आदेशों को रद्द करते हैं जिसमें दो संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी गई और इसके के आदेशों को रद्द करते हैं जिसमें दो संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी गई और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों के पक्ष में परिणामी बिक्री को भी रद्द करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि संबंधित संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी की तारीख, समय और स्थान आदि के संबंध में व्यापक प्रचार करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है। इस न्यायालय में की गई 10 लाख रुपये की पेशकश को उस व्यक्ति की न्यूनतम बोली माना जाएगा जिसने प्रस्ताव दिया है और इस राशि का दस प्रतिशत न्यायालय में जमा

करा दिया है। यह प्रतिवादियों/खरीदारों के लिए नीलामी में भाग लेने और संपत्तियों को खरीदने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी खुला रहेगा।

ट्रस्ट के प्रतिवादी-विक्रेता संपत्ति की नीलामी की तारीख तक राशि के भुगतान की तारीख से 10% ब्याज के साथ उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत वापस पाने के हकदार होंगे। वे संपत्तियों में उनके द्वारा लगाए गए किसी भी अधिरचना के लिए मुआवजे के भी हकदार होंगे, जिसमें भवन और संपत्ति में उनके द्वारा किए गए किसी भी परिवर्धन या सुधार के लिए मुआवजा भी शामिल है। उनके द्वारा भवन और संपत्ति में किए गए किसी भी परिवर्धन या सुधार के लिए मुआवजे सहित संपत्तियों में ऐसी उच्च संरचना का मूल्य और सुधारों और परिवर्धनों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक योग्य अभियंता के माध्यम से और ऐसी अन्य विधि से किया जाएगा जो न्यायालय उचित समझे। न्यायालय प्रतिवादियों और न्यास को उस संबंध में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद मूल्य और मुआवजे की राशि तय करेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

G. N.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।